कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अलवर

क्रमांक :– सहायता / 2025 दिनांकः– 07.01.2025

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानूमान के आधार पर जिले मे शीतलहर एवं बढती हुई ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 11.01.2025 तक,जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचानें एवं विद्यार्थियो के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालयो मे अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं, डॉ.आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा एवं प्रबंधन आपदा प्राधिकरण,अलवर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अलवर जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो मे अध्ययनरत छात्र–छात्राओ का दिनांक 07.01.2025 से 11.01.2025 तक का अवकाश घोषित करती हूँ। यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओ हेतु लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानो को निर्देशित किया जाता है कि इन आदेशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे। यदि कोई संस्था प्रधान उक्त अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है,तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

(डॉ.आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,अलवर

क्रमांक :– सहायता / 2025 दिनांकः– 07.01.2025

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

01. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर।
02. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
03. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर को प्रेषित कर लेख है कि जिले मे संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो मे उक्त आदेशो की पालना कराना सुनिश्चित करे।
04. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा अलवर।
05. उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार समस्त जिला अलवर।
06. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त, जिला अलवर।
07. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी अलवर।
08. रक्षित पंत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Artika Shukla
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.06 15:00:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12836235